महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना, जनपद–हरिद्वार।

पत्रांक 258 / लेखा–सामा0अंकेक्षण / 2017–18 दिनांक 29-7-17

सार्वजनिक विज्ञप्ति

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत् जनपद, हरिद्वार में कराये जाने वाले ग्राम/ क्षेत्र/ जिला पंचायत तथा कन्वर्जेन्स विभाग द्वारा किये गये कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण किये जाने हेतु सोशल आडिट टीम एवं ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की टीम का गठन किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु इच्छुक पात्र व्यक्तियों से आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप दिनाक 20.8.2017 तक आमंत्रित किये जाते हैं। सोशल आडिट टीम हेतु सम्बन्धित विकास खण्ड पर तथा ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के पैनल हेतु जिला विकास कार्यालय,रोशनाबाद, हरिद्वार निर्धारित तिथि तक आवेदन किये जा सकते हैं।

सोशल आडिट टीम के सदस्य हेतु शैक्षिक योग्यता– हाईस्कूल तथा ब्लाक संसाधन व्यक्तियों हेतु शैक्षिक योग्यता– इन्टरमीडिएट व कम्प्यूटर में दक्षता होगी।

विज्ञप्ति के सम्बन्ध में आवेदन पत्र एवं विस्तृत जानकारी सम्बन्धित खण्ड विकास कार्यालय अथवा जनपद स्तर पर जिला विकास कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क स्थापित कर प्राप्त कर सकते हैं अथवा NIC वेबसाईट से डाउनलोड कर सकते हैं।

(दीपक रावत)
जिलाधिकारी/
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मनरेगा, हरिद्वार।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना, जनपद–हरिद्वार।

पत्रांक: 258 / लेखा–सामा0अंकेक्षण / 2017–18 दिनांक: 29/7/17

प्रतिलिपि–1– सम्पादक, अमर उजाला/ राष्ट्रीय सहारा, जनपद, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को न्यूनतम स्पेश में शासकीय दरों पर प्रकाशित करते हुए बिल जिला सूचना अधिकारी, हरिद्वार से सत्यापित कराते हुए भुगतान हेतु उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

2– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, हरिद्वार को संलग्न प्रारूप के साथ इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त जानकारी प्रारूप सहित जनपद, हरिद्वार की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(पी0एस0 चौहान)
जिला विकास अधिकारी/
उप जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मनरेगा, हरिद्वार।

कार्यालय : महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना, हरिद्वार।

पत्रांकः 249 /मनरेगा–सामा0अंकेक्षण पत्रा0/2017–18 दिनांकः 27-07-2017

समस्त खण्ड विकास अधिकारी/
कार्यक्रम अधिकारी–मनरेगा,
जनपद–हरिद्वार।

विषय– ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों का जनपद स्तर पर पैनल तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अपर सचिव/ निदेशक सोशल आडिट उत्तराखण्ड शासन के पत्र स0–58/अ0स0–ग्रा0वि0/USAATA/ 2017–18 दिनांक 13.07.2017 (संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि जनसामान्य के विकास हेतु संचालित योजनाओं के प्रवाही कियान्वयन एवं अनुश्रवण के साथ ही समाज के हर वर्ग की योजनाओं में भागीदारी हेतु सामाजिक अंकेक्षण एक प्रभावी प्रकिया है। सामाजिक अंकेक्षण वह प्रकिया है जिसके सहारे सार्वजनिक एजेन्सी द्वारा वित्तीय या गैर वित्त संसाधनों के इस्तेमाल का ब्यौरा जनता तक पहुंचाया जाता है और इसके लिए सार्वजनिक मंच का सहारा लिया जाता है। इसके साथ ही सामाजिक अंकेक्षण योजनाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण कराने में समुदाय की भूमिका सुनिश्चित करता है।

2. भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को ध्यान में रखते हुए गत वर्षो की तुलना में अधिकाधिक संख्या में सामाजिक संप्रेक्षण (social audit) सम्पन्न करने एवं उसकी गुणवत्ता में अभिवृद्धि हेतु प्रत्येक जिले में जनपद पर ब्लाक संसाधन व्यक्तियों (Block Resource Persons) का एक पैनल तैयार किया जाना प्रस्तावित है। पैनल में सम्मिलित व्यक्तियो को आवश्यकतानुसार ग्राम पंचायतों में सामाजिक संप्रेक्षण को सुगम बनाने का दायित्व सौंपा जा सकेगा। इस हेतु प्रत्येक ग्राम पचांयत के सोशल आडिट हेतु ब्लाक संसाधन व्यक्ति को रू0 2000/– व्यवसायिक शुल्क तथा रू0 500/– व्यवसायिक यात्रा शुल्क की अनुमन्यता प्राविधानित है। सामाजिक संप्रेक्षण के कार्य में लगाये जाने वाले ब्लाक संसाधन व्यक्ति (BRP) से कितने ग्राम पंचायतों के सोशल आडिट में सहयोग प्राप्त किया जाएगा, यह निर्णय निदेशक, सोशल आडिट के विवेकाधीन होगा। यह भी सम्भव है कि पैनल में रखे गए किसी (BRP) को वर्ष में एक भी ग्राम पचांयत में सोशल आडिट को करने का कार्य न सौंपा जा सके। ब्लाक संसाधन व्यक्ति से सोशल आडिट से सम्बन्धित अन्य कार्य भी यथावश्यक निर्धारित व्यवसायिक शुल्क पर लिया जा सकता है। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्लाक संसाधन व्यक्ति के रूप में केवल पैनल पर रखे जाने मात्र से तथा बिना कार्य के ब्लाक संसाधन व्यक्ति को कोई देनदारी या हकदारी नहीं बनेगी।

3. ब्लाक संसाधन व्यक्ति के पैनल में सम्मिलित किये जाने हेतु न्यूनतम अर्हता/ प्राथमिकता/ आयु सीमा–

क– अर्हता – इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण।

ख– जन समस्याओं से सम्बन्धित मामलों में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जमीनी स्तर पर कम से कम 03 वर्ष का अनुभव एवं ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी रखता हो।

ग– कम्प्यूटर पर कार्य करने की दक्षता हो तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर में प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र हो।

घ– आयु– 01 जुलाई,2017 को न्यूनतम आयु 30 से 65 वर्ष के मध्य। उक्त आयु वर्ग के पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी न मिलने पर न्यूनतम आयु सीमा को शिथिल करने हेतु निर्णय यथासमय निदेशक द्वारा लिया जा सकता है। पर्याप्त अभ्यर्थी से तात्पर्य रिक्ति के कम से कम तीन गुना आवेदन पत्रों की प्राप्ति से है।

ड– अभ्यर्थी उसी जनपद का निवासी हो।

च– सामाजिक अंकेक्षण अभिकरण के सौजन्य से सोशल आडिट से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्राप्त अथवा सोशल आडिट की प्रकिया में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों तथा मनरेगा जॉबकार्डधारी के परिवार के सदस्यों को वरीयता दी जाएगी।

4. यह स्पष्ट किया जाता है कि ब्लॉक संसाधन व्यक्ति के रूप में पैनल पर रखे गए व्यक्ति की सेवाएं किसी भी प्रकार से सरकारी नौकरी नहीं है और न ही भविष्य में सरकारी नौकरी के लिए उनकी कोई हकदारी होगी। पैनल में रखे गए व्यक्ति को किसी भी समय बिना नोटिस दिए पैनल से हटाया जा सकता है।

5. इस विज्ञप्ति के आधार पर तैयार किया गया पैनल 31 मार्च,2019 तक के लिए मान्य होगा। पैनल में रखे जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक ब्लॉक पर 01 होगी।

6. ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों का पैनल बनाने की व्यवस्था का मुख्य उददेश्य अधिकाधिक संख्या में ग्राम पंचायतों को सोशल आडिट से आच्छादित किया जाना है।

7. ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों हेतु आवेदन पत्र निम्नांकित प्रारूप, जो अभिकरण द्वारा अभिकृत सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी या जिला विकास अधिकारी से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं।

8. भरे हुए आवेदन पत्र समस्त अभिलेख / प्रमाण पत्रों सहित सम्बन्धित जनपद के जिला विकास अधिकारी कार्यालय मे स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 30.8.2017 तक कार्यालय अवधि में जमा किये जायेगें। तदोरान्त समस्त आवेदन पत्रों की सूची तैयार कर निदेशक, सोशल आडिट को उपलब्ध करायी जायेगी। निदेशक, सोशल आडिट द्वारा इस निमित्त गठित समिति द्वारा आवेदन पत्रों पर उपयुक्तता के आधार पर विचार किया जायेगा।

9. कर्तव्य एवं दायित्व –

निर्दिष्ट ग्राम पंचायत में मनरेगा के अन्तर्गत् कराए गए कार्यो का सोशल आडिट सम्पादित करना जिसमें निम्नांकित सत्यापन किया जाना सम्मिलित है–

1– विकासखण्ड की ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट कैलेण्डर के अनुसार सम्पन्न कराना।
2– सोशल आडिट के लिए अपेक्षित व्यवस्था सुनिश्चित कराना एवं सहयोग प्रदान करना।
3– सोशल आडिट समिति, जो ग्राम पचांयत स्तर पर गठित है, के सदस्यों को सोशल आडिट के सत्यापन प्रकिया में मार्गदर्शन करना।
4– निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण द्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्य।
5– खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सोशल आडिट प्रकिया को बेहतर बनाने के उद्देश्य से निर्दिष्ट अन्य।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों हेतु इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों को संलग्न प्रारूप निःशुल्क उपलब्ध कराते हुए उपरोक्त का पर्याप्त प्रचार एवं प्रसार करना सुनिश्चित करें।

संलग्न– उपरोक्त शासनादेश एवं प्रारूप की छायाप्रति।

(पी0एस0 चौहान)
जिला विकास अधिकारी/
उप जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मनरेगा, हरिद्वार।

प्रतिलिपि– **निम्नांकित की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित–**

1– मुख्य विकास अधिकारी/ अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक महोदय, हरिद्वार।
2– जिलाधिकारी/ जिला कार्यक्रम समन्वयक महोदय, हरिद्वार।
3– अपर सचिव/निदेशक महोदय, सोशल आडिट, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

जिला विकास अधिकारी/
उप जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मनरेगा, हरिद्वार।

ब्लाक संसाधन व्यक्ति हेतु आवेदन पत्र

1– जनपद का नाम .....

2– विकासखण्ड का नाम .....

3– ग्राम का नाम .....

4– ग्राम सभा का नाम .....

5– ग्राम पंचायत का नाम .....

6– अभ्यर्थी का नाम .....

7– पिता / पति का नाम .....

8– जन्मतिथि .....

9– शैक्षिक योग्यता .....
(स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें)

10– कम्प्यूटर पर कार्य करने की क्षमता की पुष्टि में प्रमाण पत्र का विवरण .....

11– अनुभव (यदि कोई हो) .....

12– आधार कार्ड संख्या (संलग्न करें) .....

13– मूल निवास का पता .....
(प्रमाण हेतु आधार कार्ड/ सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न करें) .....

14– पत्राचार का पता .....

.....

15– मोबाईल नम्बर .....

16– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (**NRLM**) एवं एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (**ILSP**) के अन्तर्गत् पंजीकृत सदस्यों की स्थिति में स्वयं सहायता समूह का नाम, पता एवं समूह के अध्यक्ष का नाम व मोबाईल नम्बर

.....

.....

दिनांक–

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

ब्लाक संसाधन व्यक्ति के पैनल में सम्मिलित किये जाने हेतु न्यूनतम अर्हता/ प्राथमिकता/ आयु सीमा–

क– अर्हता – इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण।

ख– जन समस्याओं से सम्बन्धित मामलों में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जमीनी स्तर पर कम से कम 03 वर्ष का अनुभव एवं ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी रखता हो।

ग– कम्प्यूटर पर कार्य करने की दक्षता हो तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर में प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र हो।

घ– आयु– 01 जुलाई,2017 को न्यूनतम आयु 30 से 65 वर्ष के मध्य। उक्त आयु वर्ग के पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी न मिलने पर न्यूनतम आयु सीमा को शिथिल करने हेतु निर्णय यथासमय निदेशक द्वारा लिया जा सकता है। पर्याप्त अभ्यर्थी से तात्पर्य रिक्ति के कम से कम तीन गुना आवेदन पत्रों की प्राप्ति से है।

ड– अभ्यर्थी उसी जनपद का निवासी हो।

च– सामाजिक अंकेक्षण अभिकरण के सौजन्य से सोशल आडिट से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्राप्त अथवा सोशल आडिट की प्रकिया में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों तथा मनरेगा जॉबकार्डधारी के परिवार के सदस्यों को वरीयता दी जाएगी।

कार्यालय : महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना, हरिद्वार।

पत्रांकः 248 /मनरेगा–सामा0अंकेक्षण पत्रा0/2017–18 दिनांकः 27-07-2017

समस्त खण्ड विकास अधिकारी/
कार्यक्रम अधिकारी–मनरेगा,
जनपद–हरिद्वार।

विषय– **महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत् कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण किये जाने के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक अपर सचिव/ निदेशक, सोशल आडिट, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय पत्र संख्या 50/अ0स0–ग्रा0वि0/USAATA/ 2017–18 दिनांक 10.07.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि राज्य में ग्राम/ क्षेत्र/ जिला पंचायत तथा कन्वर्जेनस विभाग (लाइन विभाग) द्वारा किये गये कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण किया जाना प्रस्तावित है। भारत सरकार द्वारा निर्गत "महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीमों की लेखा परीक्षा–2011" (नियमावली) के प्राविधानों के अनुसार सोसाइटी द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत् कार्यो की सोशल आडिट प्रकिया को प्रभावी एवं सशक्त बनाया जायेगा।

भारत सरकार द्वारा निर्गत उक्त नियमावली एवं समय–समय पर उनके द्वारा जारी निर्देशों तथा प्राप्त सुझावों पर विचारोपरान्त राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजनान्तर्गत् सामाजिक अंकेक्षण (सोशल आडिट)/ निगरानी समीक्षा की व्यवस्था हेतु वर्णित शासनादेश में सोशल आडिट हेतु ग्राम पचांयत स्तर पर निम्नवत निर्देश निर्गत किये जाते हैं, इन निर्देशों का कडाई से अनुपालन किया जाना अपेक्षित है–

1 **सोशल आडिट टीमों के गठन की प्रकिया निम्नवत होगी :–**

क– ग्राम पचांयतों में निर्दिष्ट योजनाओं यथा–मनरेगा तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत कराए गए कार्यो का सोशल आडिट करने हेतु ब्लॉक स्तर पर सोशल आडिट टीमों के गठन हेतु उत्तराखण्ड सामाजिक अंकेक्षण द्वारा निम्नवत आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

ख– प्रत्येक छः सदस्यीय सोशल ऑडिट टीम में (i) सामान्य (ii) अन्य पिछडा वर्ग (iii) अनुसूचित जाति/ जनजाति (iv) महिला (v) जाबकार्ड धारक श्रमिक अथवा उसके पात्र पुत्र/ पुत्री, तथा (vi) सामाजिक कार्यकर्त्ता अथवा सर्वाधिक शैक्षिक व्यक्ति – प्रत्येक श्रेणी के एक–एक सदस्य होंगे।

ग– शैक्षिक अर्हता – हाईस्कूल उत्तीर्ण। हाईस्कूल उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर चयन समिति द्वारा शैक्षिक योग्यता शिथिलनीय।

घ– आयु – 21 से 65 वर्ष के मध्य ।

ड– ग्राम पंचायतों में जन–जागरूकता के विस्तार हेतु सोशल आडिट टीम के सदस्रू केवल एक वर्ष की अवधि के लिए पैनल पर नामित किये जायेंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि पैनल पर नामित सदस्यगण से केवल आवश्यकतानुसार सोशल ऑडिट हेतु उनकी सेवाये प्राप्त की जायेंगी। यह भी सम्भव है कि कतिपय मामलों में अपरिहार्य कारणों से सदस्यगण से वर्ष में सोशल ऑडिट का कार्य न लिया जा सके।

च– सोशल ऑडिट टीम के सदस्यों की सेवाएं पूर्णतया सामाजिक कार्य है। यह किसी प्रकार की नौकरी नहीं है और न ही इससे भविष्य में किसी प्रकार की नौकरी की हकदारी बनेगी, जो एक निश्चित समय के बाद स्वतः समाप्त हो जायेगी।

2. टीम के सदस्य हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप, जो अभिकरण द्वारा अधिकृत सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी या जिला विकास अधिकारी से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं।

3. जिला विकास अधिकारी उपर्युक्त प्रारूप के अनुसार पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र टंकित/ छपवाकर कार्यालय में उपलब्ध रखेंगे तथा इसका वितरण खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से प्रार्थना पत्र देने के इच्छुक

व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जायेगा। इच्छुक अभ्यर्थी यदि चाहें, तो स्वयं भी निर्धारित प्रारूपानुसार प्रार्थना पत्र टंकित करवा कर प्रेषित कर सकते हैं।

4. प्रत्येक विकासखण्ड में भौगोलिक परिस्थितियों परिस्थितियों के आधार पर कम से कम 03 ग्राम पंचायतों तथा अधिकतम 10 ग्राम पंचायतों पर एक सोशल ऑडिट टीम का गठन किया जायेगा तथा रिजर्व सूची भी तैयार की जायेगी। यदि किसी वर्ग का चयनित अभ्यर्थी सोशल आडिट हेतु उपस्थित नहीं होता है तो उसके स्थान की पूर्ति रिजर्व सूची से की जा सकती है।

5. चयनि समिति

1–	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2–	मण्डलायुक्त द्वारा नामित किसी महाविद्यालय/ किसी प्रतिष्ठित संस्था का एक प्रतिनिधि	सदस्य
3–	सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य–सचिव

6. टीम के गठन हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करना/ चयन प्रकिया–

टीमों के गठन के सम्बन्ध में ग्राम पंचायतो में व्यापक जनसम्पर्क के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जाएगा ताकि सामान्य–जन में सोशल आडिट के प्रति जागरूकता बढ़े और अधिक से अधिक उपयुक्त अभ्यर्थियों से सोशल आडिट के सदस्य के रूप में पैनल पर रखे जाने हेतु आवेदन प्राप्त हो सके। ग्राम पंचायतों में स्वैच्छिक रूप से सामाजिक कार्यो में सकिय व्यक्तियों तथा जाबकार्ड धारक श्रमिक के पात्र पुत्र/पुत्री, जो कम से कम हाईस्कूल उत्तीर्ण हों, को तथा ग्रामीण आजीविका मिशन एवं एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों के सकिय सदस्यों में से चयन कर सूची तैयार की जायेगी। इसके अतिरिक्त चयन हेतु आवेदन पत्र सम्बन्धित जनपद में सर्वाधिक प्रसार वाले 02 दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कर 21 दिन के भीतर खुली प्रकिया के तहत आवेदन पत्र प्राप्त किये जा सकते हैं। आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि के एक माह के अन्दर अर्हता के आधार पर समस्त अर्ह अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर पूर्ण विवरण सहित सूची निदेशक, सोशल आडिट को उपलब्ध करायी जायेगी।

7. व्यावसायिक शुल्क/ मानदेय– प्रत्येक ग्राम पंचायत के सोशल आडिट के सम्यक रूप से सम्पन्न होने पर टीम के प्रत्येक सदस्य को निर्धारित दरों पर व्यावसायिक शुल्क का भुगतान अनुमन्य होगा। वर्तमान में यह दर रू0 500/– प्रति सोशल आडिट प्रति सदस्य है।

8. कर्तव्य एवं दायित्व

निर्दिष्ट ग्राम पंचायत में मनरेगा के अन्तर्गत कराए गए कार्यो का सोशल ऑडिट सम्पादित करना जिसमें निम्नांकित सत्यापन किया जाना सम्मिलित है :–

1– मस्टर रोल की प्रविष्टियों एवं निर्धारित समयावधि में किए गए भुगतानों का मजदूरी प्राप्त करने वाले व्यक्तियो, जिनका नाम मस्टर रोल में सम्मिलित हो, से सम्पर्क करके सत्यापन कराना।

2– मनरेगा के अन्तर्गत कराये गये कार्यो का स्थल पर सत्यापन करते हुए अभिलेखों के आधार पर मात्रा एवं कराए गए कार्यो की गुणवत्ता पर टिप्पणी करना।

3– रोकडबही, बैंक विवरण, बिलों, बाउचरों एवं अन्य वित्तीय अभिलेखों का परीक्षण कर वित्तीय सूचना प्रेषण की शुद्धता का सत्यापन करना।

4– सामग्री क्रय निर्धारित प्रकिया के अनुसार होने की पुष्टि हेतु सभी इनवॉयस, बिल बाउचर्स या अन्य संबंधित अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन करना।

5– कार्यक्रम के अन्तर्गत् प्राप्त निधियों में से कार्यकारी संस्थाओं द्वारा किए गए अन्य भुगतानों का सत्यापन करना।

6– परिसम्पत्तियों (व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर किए गए कार्यो सहित) की भौतिक स्थिति, गुणवत्ता एवं परिसम्पत्तियों की उपयोगिता के बारे में लाभार्थियों की संतुष्टि का आंकलन करना।

7– निर्धारित प्रारूप पर सभी जॉबकार्ड धारकों को दी गई धनराशि के ब्यौरे वालपेंटिंग में दर्शाए जाने की स्थिति एवं उसमें दिए गए विवरणों की ब्लॉक तथा पंचायत स्तर पर रखे अभिलेखों एवं www.nrega.nic.in में दिए गए विवरणों से मिलान कर टिप्पणी करना।

8– सोशल आडिट में पाई गई कमियों का उल्लेख करते हुए तथा सोशल आडिट ड्राफ्ट प्रतिवेदन तैयार करना।

9– यदि ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का निर्माण हुआ है तो उसका भी शत–प्रतिशत सत्यापन करना।

10– निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण द्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्य।

9– आवेदन पत्र का प्रारूप जिला एवं ब्लाक स्तर पर नोटिस बोर्डो पर चस्पा तथा वांछित अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराये जायेगें।

10– प्रत्येक विकासखण्ड में 06 सदस्यीय 10–10 टीमों का गठन किया जायेगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि सोशल आडिट टीम के सदस्य हेतु इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों को संलग्न प्रारूप निःशुल्क उपलब्ध कराते हुए उपरोक्त का पर्याप्त प्रचार एवं प्रसार करना सुनिश्चित करें।

संलग्न– उपरोक्त शासनादेश एवं प्रारूप की छायाप्रति।

(पी0एस0 चौहान)
जिला विकास अधिकारी/
उप जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मनरेगा, हरिद्वार।

प्रतिलिपि– निम्नांकित की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1– मुख्य विकास अधिकारी/ अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक महोदय, हरिद्वार।
2– जिलाधिकारी/ जिला कार्यक्रम समन्वयक महोदय, हरिद्वार।
3– अपर सचिव/निदेशक महोदय, सोशल आडिट, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

जिला विकास अधिकारी/
उप जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मनरेगा, हरिद्वार।

सोशल आडिट टीम का सदस्य हेतु आवेदन पत्र

1– जनपद का नाम .....

2– विकासखण्ड का नाम .....

3– ग्राम का नाम .....

4– ग्राम सभा का नाम .....

5– ग्राम पंचायत का नाम .....

6– अभ्यर्थी का नाम .....

7– पिता / पति का नाम .....

8– जन्मतिथि .....

9– शैक्षिक योग्यता .....

10– श्रेणी– .....

(i) सामान्य वर्ग (ii) अन्य पिछडा वर्ग
(iii) अनुसूचित जाति/ जनजाति
(iv) महिला (v) जाबकार्ड धारक श्रमिक
अथवा उसके पात्र पुत्र/ पुत्री, तथा
(vi) सामाजिक कार्यकर्ता अथवा सर्वाधिक
शैक्षिक व्यक्ति

11– निवास का पता .....

.....

12– मोबाईल नम्बर .....

13– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (**NRLM**) एवं एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (**ILSP**) के अन्तर्गत् पंजीकृत सदस्यों की स्थिति में स्वयं सहायता समूह का नाम, पता एवं समूह के अध्यक्ष का नाम व मोबाईल नम्बर

.....

.....

अभ्यर्थी के ह0–

अभ्यर्थी का नाम–

पता –

ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना के अन्तर्गत् कराए गए कार्यो का सोशल ऑडिट करने हेतु ब्लॉक स्तर पर सोशल ऑडिट टीमों के गठन हेतु निम्नवत आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। सोशल आडिट टीम के सदस्य की पात्रता हेतु अर्हताऐं निम्नवत होंगी।

क– प्रत्येक छः सदस्यीय सोशल ऑडिट टीम में (i) सामान्य वर्ग (ii) अन्य पिछडा वर्ग (iii) अनुसूचित जाति/ जनजाति (iv) महिला (v) जाबकार्ड धारक श्रमिक अथवा उसके पात्र पुत्र/ पुत्री, तथा (vi) सामाजिक कार्यकर्ता अथवा सर्वाधिक शैक्षिक व्यक्ति – प्रत्येक श्रेणी के एक–एक सदस्य होंगे।

ख– शैक्षिक अर्हता– हाईस्कूल उत्तीर्ण ।

ग– आयु – 21 से 65 वर्ष के मध्य ।

घ– ग्राम पंचायतों में जन–जागरूकता के विस्तार हेतु सोशल ऑडिट टीम के सदस्य केवल एक वर्ष की अवधि के लिए पैनल पर नामित किये जायेंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि पैनल पर नामित सदस्यगण से केवल आवश्यकतानुसार सोशल ऑडिट हेतु उनकी सेवायें प्राप्त की जायेंगी। यह भी सम्भव है कि कतिपय मामलों में अपरिहार्य कारणों से सदस्यगण से वर्ष में सोशल ऑडिट का कार्य न लिया जा सके।

ङ– सोशल ऑडिट टीम के सदस्यों की सेवाएं पूर्णतया सामाजिक कार्य है। यह किसी प्रकार की नौकरी नहीं है और न ही इससे भविष्य में किसी प्रकार की नौकरी की हकदारी बनेगी, जो एक निश्चित समय के बाद स्वतः समाप्त हो जायेगी।